

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2017/ III-231/ ००४

दिनांक : 15/12/17

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा० लि०,
जीएच - 02ए, सेक्टर - 77,
नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री वैभव जैन काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/2006/38172 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 02ए, सेक्टर - 77, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 23.11.2017 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 21,700.00 वर्ग मी०

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 7,595.000 वर्ग मी० (35%)

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 5,505.612 वर्ग मी० (25.37%)

पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (03 टॉवर्स, डी, ई, एफ)

= 2,647.807 वर्ग मी० (12.70%)

वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (02 टॉवर्स, बी, सी)

= 1,119.647 वर्ग मी० (5.16 %)

कुल निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (अधिभोग जारी + वर्तमान में निर्मित)

= 3767.454 वर्ग मी० (5.16%)

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० @ 2.75

= 59,675.000 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ.ए.आर.(क्रय योग्य FAR सहित) @ 3.50

= 75,950.00 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०

= 75,938.102 वर्ग मी०

पूर्व में निर्मित एफ०ए०आर० अधिभोग जारी (03 टॉवर्स, डी, ई, एफ)

= 36,739.489 वर्ग मी०

वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर०(02 टॉवर्स, बी, सी)

= 22,923.613 वर्ग मी०

कुल निर्मित एफ०ए०आर०(अधिभोग जारी + वर्तमान में निर्मित)

= 59,663.102 वर्ग मी०

ड्यूलिंग यूनिट का विवरण

• कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स	=	835 यूनिट्स
• पूर्व में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स अधिभोग जारी (03टॉवर्स)	=	438 यूनिट्स
• वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स(02टॉवर्स)	=	277 यूनिट्स
• कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स (05 टॉवर)	=	715 यूनिट्स

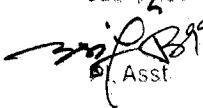
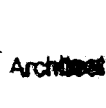
प्रतिबन्ध -

1. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, रेस(Real Estate Regulation and Development Act) 2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैंडस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों /शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।
5. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।
7. आबंटी संस्था को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु शेष 75% धनराशि(ब्याज सहित) मानचित्र स्वीकृति पत्र के अनुसार स्वीकृति दिनांक 15.11.2017 से 6 माह के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा तथा आबंटी संस्था को एच0डी0एफ0सी0 बैंक से लोन disbursement होने के 07 दिन के अन्दर शेष लेबर सेस जमा कराना अनिवार्य होगा।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye Laws
submitted for approval Please

  
Asst. Arch Asst. Arch Architect

नाम
पद
नौएडा मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनार्थ।